रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 12 दिसम्बर, 1987/21 अग्रहायण, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
(विधायी एवं राजभाषा खंड)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 20 अगस्त, 1987

सं0 डी0एल0आर0-7/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश कोर्ट ऐक्ट, 1976 (1976 का 23)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976

(1976 का 23)

(4-6-1976)

(1-5-87 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों संबंधी विधि को अधिनियमित करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,—

(क) "सिविल जिला" या "जिला" से आरम्भिक अधिकारिता के प्रधान सिविल न्यायालय की स्थानीय सीमाएं अभिप्रत है;

(ख) "जिला न्यायाधीश" के अन्तर्गत अपर जिला न्यायाधीश भी है;

(ग) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "उच्च-न्यायालय" से हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय अभिप्रेत है;

(ङ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है; और

(च) "लघु वाद" से ऐसे स्वरूप का वाद अभिप्रेत है जो प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय हो । 1887 का 9 1887 का 9

भाग-2

अध्याय-1

अधीनस्थ सिविल न्यायालय

न्यायालयों के वर्ग ।

3. प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन स्थापित 1887 का 9 न्यायालयों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:—

(1) जिला न्यायाधीश का न्यायालय, और

(2) अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय ।

सिविल जिले

4. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश को सिविल जिलों में विभाजित करेगी और इन जिलों की सीमाएं या उनकी संख्या परिवर्तित कर सकेगी और जिला न्यायाधीश के प्रशासनिक कार्यालय को स्थापित करने के प्रयोजन के लिये, प्रत्येक ऐसे जिले के मुख्यालय अवधारित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय राज्य में विद्यमान सिविल जिले, इस अधिनियम के अधीन गठित किए गए समझे जायेंगे।

जिला न्यायाधीश।

5. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् उतने व्यक्तियों को जितने वह आवश्यक समझे, जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करेगी, और उच्च-न्यायालय ऐसे एक व्यक्ति को, प्रत्येक जिले में उस जिले के जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थ करेगा:

परन्तु यदि उच्च न्यायालय उचित समझे, तो उसी व्यक्ति को दो या अधिक जिलों के जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

अपर जिला न्यायाधीश।

6. (1) जब किसी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लम्बित कार्य के शीघ्र निपटान के लिए अपर न्यायाधीश या न्यायाधीशों को सहायता की अपेक्षा हो, तो राज्य सरकार, उच्च-न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात् इतने अपर जिला न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी, जितने आवश्यक हों।

(2) इस प्रकार नियुक्त किया गया अपर जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उच्च-न्यायालय या जिला न्यायाधीश उसे समनुदिष्ट करे और अपने कृत्यों के निर्वहन में वह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा जो जिला न्यायाधीश करता है।

जिला न्यायाधीश के कृत्यों का अपर जिला न्यायाधीश को समनुदेशन।

7. उच्च-न्यायालय या जिला न्यायाधीश, मामलों और अपीलों को ग्रहण करने और रजिस्ट्रीकरण सहित अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश के किन्हीं कृत्यों का समनुदेशन कर सकेगा जो, कृत्यों के ऐसे समनुदेशन के अभाव में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में संस्थिति किए जा सकते थे और उन कृत्यों के निर्वहन में अपर जिला न्यायाधीश, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका कि जिला न्यायाधीश करता है।

अधीनस्थ न्यायाधीश।

8. राज्य सरकार, समय-समय पर, उच्च-न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाने वाले अधीनस्थ न्यायाधीशों की संख्या, नियत कर सकेगी।

जिला न्यायालय का आरम्भिक अधिकारिता-प्राप्त प्रधान सिविल न्यायालय होना।

9. जिला न्यायाधीश का न्यायालय, जिले में जिला न्यायालय या आरम्भिक अधिकारिता प्राप्त प्रधान सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

सिविल न्यायालयों का आरम्भिक अधिकारिता।

10. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, जिला न्यायाधीश के न्यायालय को, उन सभी मूल सिविल वादों की अधिकारिता प्राप्त होगी, जिनका मूल्य दो लाख रुपए से अधिक नहीं है।

अधीनस्थ न्यायाधीशों की आरम्भिक सीमाएं।

11. धारा 10 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए, मूल सिविल वाद में, अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा मूल्य के सम्बन्ध में प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, उच्च-न्यायालय द्वारा या तो उसे किसी वर्ग में सम्मिलित करके या अन्यथा, जैसे वह उचित समझें, अवधारित की जाएगी।

अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं।

12. (1) अधीनस्थ न्यायाधीश की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं ऐसी होंगी जैसी कि उच्च-न्यायालय परिनिश्चित करे।

(2) जब उच्च-न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को जिले में पदस्थ करे, तो तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में, जिले की स्थानीय सीमांए, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं समझी जाएंगी।

अधीनस्थ न्यायाधीश में लघुवाद न्यायालय अधिकारिता विनिहित करने की शक्ति।

13. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जैसी वह उचित समझें, प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन ऐसे न्यायालय द्वारा संज्ञेय दो हजार रुपये से अनधिक ऐसे मूल्य तक के वादों के विचारण के लिए, जो वह उचित समझें, लघुवाद, न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकारिता, किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को प्रदत्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रदत्त किसी अधिकारिता को प्रत्याहृत कर सकेगा। 1887 का 9

कतिपय कार्यवाहियों में जिला न्यायालय की अधिकारिता का अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा प्रयोग।

14. (1) उच्च-न्यायालय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश में निम्नलिखित के अधीन विनिर्दिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों या कार्यवाहियों के किसी वर्ग का संज्ञान करने के लिए किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को, और उसके नियंत्रणाधीन ऐसे अधीनस्थ न्यायाधीश को अन्तरित करने के लिए किसी जिला न्यायाधीश को प्राधिकृत कर सकेगा :—

(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 — 1925 का 39
(ख) संरक्षक और प्रतिलाकल्य अधिनियम, 1890 और — 1890 का 8
(ग) प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, — 1920 का 5

(2) जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा संज्ञान की गई, उसे अन्तरित की गई, ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को प्रत्याहृत कर सकेगा और या तो स्वयं उन्हें निपटा सकेगा या अपने नियंत्रणाधीन उनको निपटाने के लिए सक्षम किसी न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा, यथास्थिति संज्ञात या उसे अंतरित कार्यवाहियों का निपटान उसके द्वारा, न्यायाधीश के जिला न्यायालय में उसी प्रकार की कार्यवाहियों को लागू नियमों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा।

न्यायालय के आसीन होने का स्थान।

15. (1) उच्च-न्यायालय ऐसा स्थान या ऐसे स्थानों को नियत कर सकेगा जहां इस अधिनियम के अधीन कोई न्यायालय आसीन होगा।

(2) इस प्रकार नियत स्थान, न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर भी हो सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी आदेश द्वारा अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय, इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी स्थान पर आसीन किया जा सकेगा।

न्यायालयों का नियन्त्रण

16. उच्च-न्यायालय के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला न्यायाधीश का, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इस अधिनियम के अधीन सभी सिविल न्यायालयों पर नियंत्रण होगा ।

कार्य वितरण करने की शक्ति ।

1908 का 5

17. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक जिला न्यायाधीश, लिखित आदेश द्वारा निदेश कर सकेगा कि उसक न्यायालय और उसके नियंत्रणाधीन न्यायालयों द्वारा संज्ञेय कोई सिविल कार्य ऐसे न्यायालयों में, ऐसी रीति में वितरित किया जाएगा जिसे वह उचित समझें :

परन्तु इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई भी निदेश, किसी न्यायालय, को, उसकी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर की किन्हीं शक्तियों के प्रयोग या किसी कार्य में कार्यवाही करने के लिए, सशक्त नहीं करेगा।

न्यायालय के अनुसचिवीय अधिकारी ।

18. (1) न्यायालय के अधीक्षक के अतिरिक्त, जिला न्यायलाय के अनुसचिवीय अधिकारी, जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । जिला न्यायालय का अधीक्षक उच्च-न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) जिला न्यायाधीश के नियन्त्रणाधीन सिविल न्यायालयों के अनुसचिवीय अधिकारी, जिला न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए होगी जैसे उच्च-न्यायालय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस निमित्त बनाए ।

(4) इस धारा के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी आदेश, उच्च-न्यायालय द्वारा उल्टा या परिवर्तित किया जा सकेगा ।

जिला न्यायाधीश की शक्तियों का प्रत्यायोजन।

19. जिला न्यायाधीश, इस अधिनियम की धारा 18 (2) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति को, उच्च-न्यायालय की पूर्व मंजूरी से, जिले में किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को, जिला न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिले के किसी विनिर्दिष्ट प्रभाग में अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा प्रयोग करने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अध्याय–2

सिविल मामलों में अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारिता

जिला न्यायाधीशों या अवर जिला न्यायाधीशों से अपीलें ।

20. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित द्वारा अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, आरम्भिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील उच्च-न्यायालय में हो सकेगी ।

(2) किसी ऐसे मामले में अपर जिला न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील उच्च-न्यायालय में नहीं होगी जिसमें यदि डिक्री या आदेश जिला न्यायाधीश द्वारा लिया गया होता, तो उच्च-न्यायालय में उसकी अपील नहीं होती ।

अधीनस्थ न्यायाधीशों से अपीलें ।

21. (1) यथा पूर्वोक्त के सिवाय, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश की अपील निम्नलिखित को होगी :—

(क) जिला न्यायाधीश को, जहां मूल वाद का मूल्य जिसमें डिक्री या आदेश किया गया था, पच्चास हजार रुपये से अधिक नहीं था, और

(ख) किसी अन्य मामले में, उच्च-न्यायालय को ।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाने वाली अपीलों

को प्राप्त करने का कृत्य, अपर जिला न्यायाधीश को समनुदिष्ट किया गया है, वहां अपील अपर जिला न्यायाधीश को की जा सकेगी।

(3) उच्च-न्यायालय अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित सभी या किसी मूल वाद में डिक्रियों या आदेशों की जिला न्यायालय में होने वाली अपीलें, ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश को की जाएंगी जो अधिसूचना में वर्णित किया जाए और तदुपरि अपीलें तदानुसार की जाएंगी और ऐसे अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, इस प्रकार की गई सभी अपीलों के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय समझा जाएगा।

लम्बित अपीलों और कार्यवाहियों को जिला न्यायालयों को अन्तरित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति।

21. (1) हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हीं अपीलों या कार्यवाहियों को जो जुलाई, 1980 के पांचवे दिन से ठीक पूर्व, हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में जिला न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसी अपील या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता होती, यदि ऐसी अपील या कार्यवाहियां जुलाई, 1980 के पांचवे दिन के पश्चात प्रथम बार संस्थित या दायर की जातीं।

(2) हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी अपील, वाद या अन्य कार्यवाहियों को जो हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रारम्भ से ठीक पूर्व, हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायालय के समक्ष लम्बित है या हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय को अन्तरित कर सकेगा जिसे ऐसी अपील, वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता होती, यदि ऐसी अपील, वाद या कार्यवाहियां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार संस्थिति या दायर की जाती।

अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों से किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को अपीलें अन्तरित करने की शक्ति।

22. (1) जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीशों की डिक्रियों या आदेशों की अपने समक्ष लम्बित किसी अपील को, उसे निपटाने के लिए सक्षम, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधीनस्थ न्यायाधीश को अंतरित कर सकेगा।

(2) जिला न्यायाधीश, इस प्रकार अन्तरित किसी अपील को प्रत्याहृत कर सकेगा, और इसे स्वयं निपटा सकेगा अथवा उसके निपटान के लिए सक्षम, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, न्यायालय को अंतरित कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन अन्तरित अपीलें, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए निपटाई जाएंगी, जो जिला न्यायाधीश द्वारा वैसी ही अपीलों को निपटाते समय लागू होते हैं।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो उच्च-न्यायालय द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त जारी किए जाएं।

अध्याय–3

अनुपूरक उपबन्ध

शक्तियां प्रदत्त करने का ढंग।

23. इस भाग द्वारा अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, कोई शक्ति, जो उच्च-न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को इस भाग के अधीन प्रदत्त की जाए, ऐसे व्यक्ति को या तो नाम से अथवा पद के आधार पर प्रदत्त की जा सकेगी।

अधिकारियों की शक्तियों का बने रहना।

24. जब भी सरकार की सेवा में पदधारी कोई व्यक्ति जिसमें इस भाग के अधीन किसी सारे स्थानीय क्षेत्र क लिए कोई शक्ति निहित की गई हो, किसी पश्चातवर्ती समय वैसे ही स्थानीय क्षत्र में उसी स्वरूप क समान या उच्चतर पद पर स्थानांतरित या पदस्थित किया जाता है, तो वह, जब तक उच्च-न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नही करता या उसने अन्यथा

निर्दिष्ट नहीं किया है, उस स्थानीय क्षेत्र में, जिसमें वह इस प्रकार स्थानांतरित या पदस्थ किया गया है, वैसी शक्तियों का ही प्रयोग करेगा ।

अर्जी-नवीसों के सम्बन्ध में उपबन्ध ।

25. उच्च-न्यायालय, समय-समय पर, इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमति से संगत, नियम बना सकेगा :--

(क) यह घोषणा करते हुए कि उसके अधीनस्थ न्यायालयों में किन व्यक्तियों को याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां जारी करने, उन द्वारा कार्य के संचालन, और उन द्वारा प्रभार्य फीसों के मान को, अधिनियमित करते हुए; और

(ग) ऐसे प्राधिकारी का अवधारण करते हुए, जिसके द्वारा ऐसे नियमों के भंग का अन्वेषण किया जाएगा और शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी ।

अवकाश दिवसों की सूची का नियन्त्रण ।

26. (1) उच्च-न्यायालय, अपने अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में प्रतिवर्ष अवकाश दिवसों के रूप में मनाए जाने वाले दिवसों की सूची तैयार करेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसी सूची, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

मोहर ।

27. इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक न्यायालय, ऐसे रूप और बनावट वाली मोहर का प्रयोग करेगा, जैसी उच्च-न्यायालय द्वारा विहित की गई है या की जाए ।

कतिपय उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव ।

27. अ--इस अधिनियम में हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा किए गए संशोधन, दिल्ली उच्च-न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 17 की उप-धारा (3) और हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 23 में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

1966 का 26
1970 का 53

जिला न्यायाधीश के पद की अस्थायी रिक्तियां

28. जिला न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में या किसी भी कारण से उस पद में रिक्ति की दशा में, अपर जिला न्यायाधीश या यदि एक से अधिक अपर जिला न्यायाधीश उपस्थित हों, तो उनमें से पंक्ति में प्रथम, और यदि कोई भी अपर जिला न्यायाधीश उपस्थित न हो, तो उपस्थित अधीनस्थ न्यायाधीशों की पंक्ति में प्रथम अधीनस्थ न्यायाधीश अपने कर्त्तव्यों के अतिरिक्त वादों और अपीलों को दायर करने, अभिवचन, प्रकीर्ण और वैसे ही पत्रों को प्राप्त करने के बारे में, और उसके वितरण के बारे में जिला न्यायाधीश के कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

29. (1) उच्च-न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से संगत, नियम बना सकेगा ।

(2) विशेषतः और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

(क) उच्च-न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण और उनके विक्षण और निरीक्षण के लिए ;

(ख) उच्च-न्यायालय में किसी कागज-पत्र के अनुवाद और अपीलों की सुनवाई के लिए अभिलेख पुस्तिकाएं तैयार करने और ऐसे किसी कागज-पत्र या अनुवाद की प्रति बनाने या मुद्रित करने और उस पर उपगत व्ययों की उस

व्यक्ति से जिसके आवेदन पर या जिसकी ओर से कागज-पत्र दायर किए जाएं वसूली करने के लिए ;

(ग) सिविल न्यायालयों द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा जारी की गई आदेशिका के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस और किसी ऐसे न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही में ऐसे वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा, ऐसे वाद या कार्यवाही में किसी दूसरे पक्षकार के प्लीडर की फीस के सम्बन्ध में, संदेय फीस ;

(घ) रीति जिसमें सिविल न्यायालयों की कार्यवाहियां रखी जाएंगी और अभिलिखित की जाएंगी, वह रीति जिसमें अपील की सुनवाई के लिए अभिलेख पुस्तकें तैयार की जाएंगी और प्रतियों का मंजूर किया जाना ; और

(ङ) न्यायालयों के अधिकारियों से संबद्ध सभी मामले।

निरसन और व्यावृतियां

30. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 द्वारा हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब कोर्ट ऐक्ट, 1918 और प्रथम नवम्बर 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त हिमाचल प्रदेश (न्यायालय) आदेश, 1948 एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं : 1966 का 31 1918 का 6

(क) परन्तु उक्त अधिनियम या उक्त आदेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, गठित न्यायालय, जारी की गई अधिसूचनाएं, बनाए गए नियम, प्रदत्त शक्तियां, किए गए प्रत्यायोजन और नियुक्तियां, इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन, की गई, गठित, जारी की और प्रदत्त की गई समझी जाएंगी :

(ख) परन्तु यह और कि इस समय प्रवृत्त प्रत्येक अधिनियमिति में और तद्धीन किए गए या जारी किए गए नियुक्ति आदेश, आदेश, नियम, उप-विधि, अधिसूचना या प्ररूप में उक्त अधिनियम या उक्त आदेश के प्रति सभी निर्देशों का इस अधिनियम के प्रति निर्देशों के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उप-धारा (1) के अधीन निरसित अधिनियम या आदेश के अधीन स्थापित किसी भी न्यायालय में लम्बित सभी वाद, अपीलें, पुनरीक्षण आवेदन-पत्र, पुनर्विलोकन, निष्पादन और अन्य कार्यवाहियां चाहे जो भी हो, उसी न्यायालय में जारी रहेंगी और निर्णीत की जाएंगी मानों कि उक्त न्यायालय इस अधिनियम के अधीन विधिक रूप से स्थापित किया गया हो।

———

शिमला-2, 20 अगस्त, 1987

सं0 डी0एल0 आर0-8/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि पंजाब प्रोफशनल, ट्रेड, कालिंगस एण्ड ऐम्पलायमैन्ट टैक्सेशन (हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग) ऐक्ट, 1968 (1968 का 15)" क, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968

(1968 का 15)

(4-2-1969)

(1-5-87 को यथा विद्यमान)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब प्रोफैशन, ट्रेड्स, कालिंगस एण्ड ऐम्पलायमैन्ट, टैक्सेशन ऐक्ट, 1956 का निरसन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इन अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 1967 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

पंजाब अधिनियम, 1956 का निरसन।

1956 का 7

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब प्रोफैशन्स, ट्रेड्स कालिंगस और ऐम्पलायमैन्ट टैक्सेशन ऐक्ट, 1956 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्तियां।

3. धारा 2 के अधीन अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) कथित अधिनियम का पूर्ववर्ती प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई कोई बात, या

(ख) कथित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या

(ग) कथित अधिनियम के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण विधिक कार्यवाहियों या उपचार संस्थिति, जारी या प्रवर्तित रखा जा सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि कथित अधिनियम निरसित नहीं किया गया था।

शिमला-2 20 अगस्त, 1987

सं0 डी0 एल0 आर-9/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश प्रीवेन्शन आफ टिकटलैस ट्रैवल इन रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विस ऐक्ट, 1976 (1976 का 22)" के, संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन सेवा में बिना टिकट यात्रा निवारण, 1976

(1976 का 22)

(2-6-1976)

(1-5-1987 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम द्वारा चलाई गई मोटर गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा के निवारण और उससे सम्बद्ध अन्य विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के सतांईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन सेवा बिना टिकट यात्रा निवारण अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "किराया" से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उसके या उनके वहन के बारे में संदेय प्रभारों की कुल रकम, प्रकृति जो भी हो, अभिप्रेत है ;

(ख) "उच्च-न्यायालय" से हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यायलय अभिप्रेत है ;

(ग) "पथ परिवहन सेवा" से पथ द्वारा भाड़े या पारिश्रमिक के लिए व्यक्तियों या माल या दोनों के वहन की, मोटर गाड़ियों की सेवा अभिप्रेत है ;

(घ) "राज्य परिवहन उपक्रम" से अभिप्रेत है पथ परिवहन सेवा को व्यवस्था करने वाला कोई उपक्रम जहां ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार,

(ii) पथ परिवहन अधिनियम, 1950 के अधीन स्थापित हिमाचल पथ परिवहन निगम ।

(ङ) "टिकट" के अन्तर्गत राज्य परिवहन उपक्रम के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया डयूटी, विशेषाधिकार या शिष्टाचार पास अभिप्रेत है; और

(च) इसमें प्रयुक्त, किन्तु अधिनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो मोटर अधिनियम, 1939 में उनके हैं।

किराये के संदाय पर-टिकटों का प्रदाय ।

3. राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई, पथ परिवहन सेवा द्वारा यात्रा करने के इच्छुक प्रत्यक व्यक्ति को उसक किराय क संदाय पर, इस निमित्त प्राधिकृत राज्य परिवहन उपक्रम क कर्मचारी या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त अभिकर्ता द्वारा, किराये की रकम, मोटर गाड़ी, स्थान जहां से और वह स्थान जिसके लिए किराया संदत्त किया गया है, विनिर्दिष्ट करते हुए टिकट दिया जाएगा।

बिना टिकट यात्रा का प्रतिषेध ।

4. कोई भी व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा, चलाई गई पथ परिवहन सेवा में समाविष्ट किसी मोटर गाड़ी में, यात्रा करने के प्रयोजन से तब तक प्रवेश नहीं करेगा या उसमें रहेगा, जब तक कि उस के पास उचित टिकट न हो।

टिकटों का प्रस्तुतीकरण।

5. कोई भी व्यक्ति जो राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई पथ परिवहन सेवा में समाविष्ट मोटर गाड़ी में यात्रा करेगा, उपक्रम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राज्य परिवहन के किसी कर्मचारी के अध्यपेक्ष करने पर, ऐसे कर्मचारी को अपना टिकट, उस यात्रा की समाप्ति पर या उससे पहले, जिसके लिए टिकट जारी किया गया था, परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

बिना टिकट या अपर्याप्त टिकट से या प्राधिकृत दूरी से अधिक यात्रा करने के लिए दंड ।

6. (1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई पथ परिवहन सेवा में समाविष्ट मोटर गाड़ी द्वारा, अपने पास उचित टिकट के बिना यात्रा करता है, या मोटर गाड़ी में प्रवेश करने पर या उतरने पर, धारा 5 के अधीन उसके लिए अध्यापेक्षा किए जाने पर तुरन्त अपना टिकट परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसा करने से इंकार करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा, और वह, उस दूरी के लिए जिसके लिए उसने यात्रा की है, एकतरफा सामान्य किराये या उस पड़ाव के बारे में कोई शंका हो जहां से उसने यात्रा प्रारम्भ की थी, उस पड़ाव से जहां मोटर गाड़ी मूलतः चलाई गई थी या उस स्थान से जहां टिकटों का अंतिम बार परीक्षण किया गया था, किराये के साथ-साथ, इस धारा में इसके पश्चात् वर्णित अतिरिक्त प्रभार के संदाय के लिए भी, दोषी होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रकार, उस उप-धारा में निर्दिष्ट सामान्य एकतरफा किराये की राशि के बराबर या पांच रूपये इन दोनों में से जो भी अधिक हो, होगा ।

कर्मचारी आदि द्वारा कर्तव्य-भंग के लिए दंड।

7. यदि राज्य परिवहन उपक्रम का कर्मचारी या धारा 3 में निर्दिष्ट अभिकर्ता, जिसका राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई पथ परिवहन सेवा में समाविष्ट मोटर गाड़ी में यात्रा कर रहे या यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्तियों, को किराये के संदाय पर टिकटे देना कर्त्तव्य है, उपेक्षा से या जानबूझ कर टिकट नहीं देता है या अविधिमान्य टिकट देता है, तो वह कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

मोटर गाड़ियों से व्यक्तियों का उतारने की शक्ति।

8. जो कोई भी व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाई गई पथ परिवहन सेवा में समाविष्ट मोटर गाड़ी में, अपने पास उचित टिकट के बिना या अपनी टिकट द्वारा प्राधिकृत स्थान से आगे तक यात्रा करता है या यात्रा करने का प्रयत्न करता है या जो मोटर गाड़ी में होते हुए अपना टिकट धारा 5 के अधीन उसके लिए अध्यपेक्षा किए जाने पर तुरन्त परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने में असफल रहता है या एसा करने से इन्कार करता है, धारा 6 के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस निमित्त उपक्रम द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत राज्य परिवहन उपक्रम में किसी कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसा कर्मचारी अपनी सहायता के लिए बुलाए मोटर गाड़ी से उतारा जा सकेगा, यदि वह उसी समय किराये का संदाय नहीं कर देता है :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, 6 बजे अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न के बीच सिवाय, उस पड़ाव के जहां वह पहले गाड़ी में चढ़ा हो या जिले या तहसील के मुख्यालय के पड़ाव के मोटर गाड़ी से नहीं उतारा जाए।

राज्य परिवहन उपक्रम के कर्मचारी के कर्तव्य में बाधा डालने के लिए दंड।

9. यदि कोई व्यक्ति, राज्य परिवहन उपक्रम के किसी कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्य निर्वहन में जान-बूझ कर बाधा या अडचन डालता है, तो वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पाच सौ रूपये तक का हो सकगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

10. (1) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, सम्बन्धित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले और ऐसे अपराधों का संक्षेपत निवारण करने के लिए, दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 260 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सशक्त मजिस्ट्रेटों द्वारा, विचारणी होंगे। 1974 का 2

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे अधिकारी के लिखित परिवाद के जिसे राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे।

अतिरिक्त प्रभार और एक तरफा किराये का राज्य परिवहन उपक्रम को संदत्त किया जाना।

11. (1) धारा 6 के अधीन अपराध के लिए वसूल की गई रकम में से, उस धारा में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार और एकतरफा किराया, उस रकम के किसी प्रभाग को राज्य सरकार के खाते में जुर्माने के रूप में जमा करने से पहले, राज्य परिवहन उपक्रम को संदत्त किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राप्त रकम में से, राज्य परिवहन उपक्रम हिमाचल प्रदेश यात्री और माल कराधान अधिनियम, 1955 क अधीन उद्गृहीत यात्री कर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन दायी या संदय किसी अन्य कर के संदाय के लिए, दायी होगा। 1955 का 15

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

12. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन से अनधिक अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों, के ठीक बाद के सत्र क अवसान से पूर्व, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने क लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व, विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम क ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पूर्व की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

14. (1) हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन सेवा में बिना टिकट यात्रा निवारण अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। 1976 का 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी, मानों कि यह अधिनियम उस दिन प्रारम्भ हुआ था जिस को निरसित अध्यादेश प्रवर्तनशील हुआ था।

शिमला-2,

सं० डी०एल०आर०-7/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश सुप्रशन आफ इन्डीसेन्ट एडवर्टीजमैंटस ऐक्ट, 1973 (1974 का 5)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश अशिष्ट विज्ञापन दमन अधिनियम, 1973

(1974 का 5)

(19-1-1974)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

अशिष्ट विज्ञापनों का दमन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अशिष्ट विज्ञापन दमन अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

निर्वाचन।

2. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, मैथून से उद्भूत या सम्बन्धी सिफलिस, सूजाक, स्नयविक, दुर्बलता या अन्य व्याधि या अंग शैथिल्य, से सम्बन्धित कोई विज्ञापन, अशिष्ट प्रकृति का मुद्रित या लिखित पदार्थ समझा जायेगा।

अशिष्ट चित्र या लिखित पदार्थ आदि चिपकाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां।

3. (1) जो कोई भी, कोई चित्र या मुद्रित या लिखित पदार्थ को, जो अशिष्ट प्रकृति का हो, किसी घर, भवन, दीवार, बोर्डिंग, द्वार, बाड़ खम्भे, चौकी, बोर्ड, वृक्ष या किसी भी अन्य वस्तु पर, जो भी हो, चिपकाता है अन्तर्लिखित या स्टेंसिल करता है, वह किसी मार्ग, लोक राजमार्ग या पटरी पर या से गुजरने वाले व्यक्ति को दृष्यमान हो और जो कोई भी, किसी लोक शौचालय या मूत्रालय पर चिपकाता, अन्तर्लिखित या स्टेंसिल करता है, या सिनेमा के पर्दे पर, या किसी घर या दुकान की खिड़की में लोक अवलोकन के लिए प्रदर्शित करता है, दोषसिद्धि पर, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या ऐसे कारावास और जुर्माने, दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) जब कभी भी उप-धारा (1) द्वारा प्रतिषिद्ध रीति में, अशिष्ट प्रकृति का कोई मुद्रित या लिखित पदार्थ प्रदर्शित किया गया हो, तो कोई व्यक्ति जिसके कब्ज या नियन्त्रण में वह भूमि, भवन, संरचना या परिसर है, जिस पर ऐसा मुद्रित या लिखित पदार्थ चिपकाया गया है, जो जानते हुए भी उसके प्रदर्शन के जारी रखने को अनुज्ञात करता है, दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा या ऐसे कारावास और जुर्माने, दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 3 के अधीन दण्डनीय कार्यों के करने के

4. जो कोई, धारा 3 में वर्णित, कोई ऐसा चित्र या मुद्रित या लिखित पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति को, इस आशय से कि, वह, उसमें से कोई एक या अधिक चिपकाया, अन्तर्लिखित स्टेंसिल या प्रदर्शित किया जायेगा, जैसा उसमें वर्णित है, देता या परिदत्त करता है, दोषसिद्धि पर, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की

हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

लिए अन्य को भेजने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियां ।

अशिष्ट प्रकृति के चित्र या मुद्रित या लिखित पदार्थ अभिग्रहण, हटाने विरूपित या नष्ट करने की शक्ति ।

5. यदि जिला मैजिस्ट्रेट, उप-खण्ड मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि, अशिष्ट प्रकृति का कोई चित्र या मुद्रित या लिखित पदार्थ, जो चिपकाया, अन्तर्लिखित या स्टेंसिल किया गया है जैसा कि धारा 3 में वर्णित है, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् लोक अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया जाना जारी रखा जाता है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को, किसी स्थान पर ऐसी सहायता से जैसी अपेक्षित हो, प्रवेश करने और किसी ऐसे चित्र या मुद्रित या लिखित पदार्थ को अभिग्रहण, हटाने, विरूपित या नष्ट करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

पुलिस अधिकारी अपराध के अवलोकन पर गिरफ्तार कर सकेगा ।

6. कोई पुलिस अधिकारी, किन्हीं व्यक्तियों को जिन्हें वह इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध करते पायेगा, वारण्ट क बिना गिरफ्तार कर सकेगा ।

छूट

7. इस अधिनियम की कोई भी बात, किसी नगर निगम द्वारा या किसी नगरपालिका, लघुनगर या अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा प्रदर्शित, या राज्य सरकार की मंजूरी से प्रकाशित, किसी विज्ञापन को लागू नहीं होगी ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

8. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब सुप्रेशन आफ इन्डीसैन्ट ऐटवर्टिजमैन्ट्स ऐक्ट, 1941 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है : 1966 का 31

परन्तु उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, (जिसके अन्तर्गत मंजूर अनुज्ञा या प्रारम्भ या जारी की गई कार्यवाहियां भी हैं) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेंगी। 1941 का 7

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1987

सं० डी० एल० आर०-7/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियमों के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं । यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि इन अधिनियमों में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा :

1. दि हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग ऐक्ट, 1964 (1964 का 2)
2. दि हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग ऐक्ट, 1968 (1968 का 19)
3. दि हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग ऐक्ट, 1972 (1972 का 14)
4. दि हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग एक्ट, 1972 (1972 का 19)
5. दि हिमाचल प्रदेश रिपीलिंग ऐक्ट, 1973 (1973 का 11)

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1964

(1964 का 2)

(13-3-1964)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

कतिपय विधियों के निरसन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1964 है।

कतिपय विधियों का निरसन।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों का, उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार पर्यन्त एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृत्तियां।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी भी विधि का निरसन, किसी भी अन्य विधि को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित विधि प्रयुक्त, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो :

और यह अधिनियम, पूर्व की गई या होने दी गई किसी भी बात, या पूर्व अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता, या दायित्व, या उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन, या पूर्व मन्जूर की गई क्षतिपूर्ति, या किसी पिछले कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्य प्रभाव या परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा,

और न ही यह अधिनियम, विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन छूट पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा, निरसित विधि द्वारा, में या से, क्रमशः अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा, न ही इस अधिनियम द्वारा किसी भी विधि का निरसन, किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित करेगा।

अनुसूची
(देखिए धारा 2)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1878	17	बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949, द्वारा बिलासपुर में यथा लागू, नार्दन फैरीज ऐक्ट, 1878।	सम्पूर्ण

1	2	3	4
1905	3	बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 द्वारा बिलासपुर में यथा लागू, दि पंजाब माइनर कैनाल्स ऐक्ट, 1905 ।	सम्पूर्ण
1916	2	बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949, द्वारा बिलासपुर में यथा लागू, दि पंजाब मैडिकल रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1916 ।	सम्पूर्ण
1940	15	अधिसूचना सं0 94-जे, तारीख 10 जून, 1953 द्वारा बिलासपुर को यथा विस्तारित, दि मद्रास लाइव स्टाक इम्प्रूवमैंट एक्ट, 1940 ।	सम्पूर्ण
1948	46	बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949, द्वारा बिलासपुर में यथा लागू, दि ईस्ट पंजाब जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1948 ।	सम्पूर्ण
1953	10	अधिसूचना सं0 191-जे, तारीख 21 सितम्बर, 1953 द्वारा बिलासपुर को यथा विस्तारित दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैण्ड टैन्योर ऐंक्ट, 1953 ।	सम्पूर्ण
1999	4	दि मण्डी जुबेनाईल स्मोकिंग ऐक्ट, 1999 (सम्वत्)	सम्पूर्ण
1999	5	दि मण्डी स्टेट मकैनिकल लिफ्टर्स (एक्साईज़ ड्यूटी) ऐक्ट, 1999 (सम्वत्) ।	सम्पूर्ण
2002	2	दि मण्डी स्टेट मलबेरी ट्रीज प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2002 (सम्वत्) ।	सम्पूर्ण
2002	3	दि मण्डी स्टेट सिल्क प्रोटैक्शन ऐक्ट, 2002 (सम्वत्)	सम्पूर्ण
2001	4	दि बैंक आफ सिरमौर ऐक्ट, 2001 (सम्वत्)	सम्पूर्ण
2004	1	दि सिरमौर प्राईमरी ऐजूकेशन ऐक्ट, 2004 (सम्वत्)	सम्पूर्ण
2004	5	दि सिरमौर होम गार्ड्स ऐक्ट, 2004 (सम्वत्)	सम्पूर्ण
2005	—	दि बिलासपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट एनिमल्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 2005 (सम्वत्) ।	सम्पूर्ण

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1968

(1969 का 19)

(5-7-1969)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1968 है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्तियां।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिस में निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, को प्रभावित ; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुन प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित ; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात को प्रभावित ; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्पित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उस के संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन, या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित ; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमानप्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उस में या उस से, क्रमशः अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, को प्रभावित ; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड को प्रभावित ; या

(ज) यथा पूर्वोक्त, ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, को प्रभावित

नहीं करेगा अगर ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि वह अधिनियम पारित नहीं हुआ था।

अनुसूची

(देखिए धारा 2)

वर्ष	सं0	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1930	1	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब रेग्यूलेशन आफ एकाऊंट्स ऐक्ट, 1930।	सम्पूर्ण

1	2	3	4
1942	7	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि म्यूज़िक इन मुस्लिम श्राइन्ज़ ऐक्ट, 1942 ।	सम्पूर्ण
1947	15	भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं0 4/9/61 ज्यूडल II यू0 टी0 एल0-52, तारीख 19-10-1962 द्वारा हिमाचल प्रदेश को यथा विस्तारित, दि ईस्ट पंजाब मूवेबल प्रापर्टी (रेक्वीज़ीशनिंग) ऐक्ट, 1947।	सम्पूर्ण
1948	23	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि ईस्ट पंजाब काटन (स्टेटिस्टिक्स) ऐक्ट, 1948.	सम्पूर्ण
1948	25	प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत, दि ईस्ट पंजाब ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, 1948 ।	सम्पूर्ण
1949	2	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब कन्ज़र्वेशन आफ फायरवुड स्पलाईज़ ऐक्ट, 1949।	सम्पूर्ण
1950	1	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब शूगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल ऐक्ट, 1950।	सम्पूर्ण
1952	2	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब काटन (प्रिवेन्शन आफ एडल्ट्रेशन) ऐक्ट, 1952 ।	सम्पूर्ण
1955	2	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब काटन (जिन्निंग एण्ड प्रेसिंग) फैक्ट्रीज़ ऐक्ट, 1955 ।	सम्पूर्ण
1956	16	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, दि पंजाब इंडस्ट्रियल हाऊसिंग ऐक्ट, 1956 ।	सम्पूर्ण

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1972

(1972 का 14)

(7-9-1972)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **अधिनियम**। 1966 का 31

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1972 है ।

(2) यह प्रथम अक्तूबर, 1971 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

1966 का 31

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का, उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार पर्यन्त, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। निरसन

3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी भी ऐसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई है; व्यावृतियां

और यह अधिनियम, पूर्व की गई या होने दी गई किसी भी बात या पूर्व अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन, या पूर्व मन्जूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पिछले कार्य या बात के सबूत की विधिमान्यता, अविधिमान्य प्रभार या परिणामों को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम, विधि के किसी भी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद, या नियुक्ति को, इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उस में या उस से क्रमशः अभिपुष्ट या, मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा,

न ही इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित करेगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

वर्ष	सं0	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1953	1	दि पंजाब बैटरमैन्ट चार्जेज एण्ड रेट्स एक्ट, 1953	सम्पूर्ण
1954	36	दि पंजाब लैन्ड रैवेन्यू (सरचार्ज) ऐक्ट, 1954	सम्पूर्ण
1956	6	दि पंजाब लैन्ड रैवेन्यू (स्पेशल असेसमैंट) ऐक्ट, 1956	सम्पूर्ण
1958	6	दि पंजाब लैन्ड रैवेन्यू (स्पेशल चार्जेज़) ऐक्ट, 1958	सम्पूर्ण
1960	38	दि पंजाब लैन्ड रैवेन्यू (ऐडीशनल चार्जेज़) ऐक्ट, 1960	सम्पूर्ण
1963	12	दि पंजाब कर्माशियल क्राप्स सेल्स ऐक्ट, 1963	सम्पूर्ण

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973

(1973 का 11)

(24-5-1973)

(1-8-1987 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में लागू कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973 है।

(2) यह अप्रैल, 1973 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. हिमाचल प्रदेश में लागू इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का, उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार तक, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

वर्ष	सं0	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1972	3	दि इण्डियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972	सम्पूर्ण
1972	4	दि हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन) अमेंड मैंट) अधिनियम, 1972।	धारा 3
1972	5	दि हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स (अमेन्डमैन्ट) ऐक्ट 1972।	सम्पूर्ण
1972	6	दि हिमाचल प्रदेश एन्टरटेनमैन्ट्स ड्यूटी (अमेन्डमैंट) ऐक्ट, 1972।	सम्पूर्ण
1972	11	दि हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्स) (अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972।	

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976

(1976 का 26)
(14 जून, 1976)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1976 है ।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन ।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

व्यावृत्तियां ।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,—

(क) किन्हीं अन्य अधिनियमितियों को, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, प्रभावित नहीं करेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित ; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक रूप से की गई या होने दी गई किसी बात को प्रभावित ; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उस के सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, दण्ड, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन, या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धांत या नियम, या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति की, इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उस में या उस से, क्रमशः अभिपुष्ट, मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड को प्रभावित ; या

(ज) यथा पूर्वोक्त, ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को प्रभावित और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था ।

अनुसूची

(देखिए धारा 2)

वर्ष	सं0	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1883	20	हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू, दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, 1883 ।	सम्पूर्ण

1		3	4
1916	1	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब मिलिटरी ट्रांस्पोर्ट ऐक्ट, 1916 ।	सम्पूर्ण
1927	3	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (टैक्स वैलिडेटिंग) ऐक्ट, 1927 ।	सम्पूर्ण
1947	9	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब लोकल अथारिटीज़ (रेस्ट्रिक्शन आफ फंक्शन्ज़) ऐक्ट, 1947 ।	सम्पूर्ण
1948	13	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब (एक्सचेंज आफ प्रिज़नर्स) ऐक्ट, 1948 ।	सम्पूर्ण
1948	29	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब स्पेशल ट्रिब्यूनल (कन्टीन्यूएंस) ऐक्ट, 1948 ।	सम्पूर्ण
1949	10	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि ईस्ट पंजाब डैमेजड एरिआज़ ऐक्ट, 1949 ।	सम्पूर्ण
1949	15	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब कन्ज़र्वेशन आफ मैन्योर ऐक्ट, 1949 ।	सम्पूर्ण
1949	19	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि ईस्ट पंजाब इम्प्रूवड सीड्स एण्ड सीडलिंग्ज ऐक्ट, 1948 ।	सम्पूर्ण
1950	10	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब स्पेशल ट्रिब्यूनल (चेंज आफ कम्पोजीशन) ऐक्ट, 1950 ।	सम्पूर्ण
1950	12	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब लोकल अथारिटीज़ (प्रोवीज़न आफ स्टाल्स फार डिसपलेस्ड पर्सन्ज़) ऐक्ट, 1950 ।	सम्पूर्ण
1951	7	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब फारवर्ड कान्ट्रैक्टस टैक्स ऐक्ट, 1951 ।	सम्पूर्ण
1951	10	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब डिवल्पमैंट आफ डमेज्जड एरियाज़ एक्ट, 1951 ।	सम्पूर्ण
1953	40	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब शूगरकन (रेग्यूलेशन आफ परचेज़ एण्ड सप्लाई) ऐक्ट, 1953 ।	सम्पूर्ण

1	2	3	4
1955	27	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (टैक्स वैलिडेटिंग) ऐक्ट, 1955।	सम्पूर्ण
1956	31	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि शडूयूल्ड एरिआज़ ट्रेडर्ज (फैसिलिटीज़ फार लोन्स) ऐक्ट, 1956।	सम्पूर्ण
1957	8	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (पंजाब अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1957।	सम्पूर्ण
1957	9	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अमेंडमैन्ट एण्ड मिस्लेनियस प्रोवीज़न्स) (पंजाब अमेंडमैन्ट) ऐक्ट, 1957।	सम्पूर्ण
1958	8	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब टैक्सटाईल्स एण्ड शूगर (एग्ज़िस्टिंग स्टाक्स पर्चेज़ टैक्स एण्ड मिस्लेनियस प्रोवीज़न्स) ऐक्ट, 1958।	सम्पूर्ण
1959	22	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू, दि पंजाब लोकल अथारिटीज (ऐडिड स्कूल्स) ऐक्ट, 1958।	सम्पूर्ण
1959	27	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब कोआपरेटिव शूगर मिल्स (फरदर एक्सटेन्शन आफ टैन्योर आफ बोर्डस) ऐक्ट, 1959।	सम्पूर्ण
1959	34	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब इसेंशियल कमाडिटीज़ (पंजाब अमेंडमैन्ट) ऐक्ट, 1959।	सम्पूर्ण
1960	25	पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा लागू दि पंजाब नान ट्रेडिंग कम्पनीज़ ऐक्ट, 1960।	सम्पूर्ण
1969	1970 का 18	हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त दि हिमाचल प्रदेश सरचार्ज आन पर्चेज़ आफ फारेस्ट प्रोड्यूस ऐक्ट, 1969।	सम्पूर्ण

शिमला-2, 2 नवम्बर, 1987

संख्या डी0 एल0 आर0-17/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश पुलिस (प्रोटैक्शन आफ रेलवे) ऐक्ट 1969 (1970 का 2)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपांतर को एतदद्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में यदि उक्त

अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश पुलिस (रेल संरक्षण) अधिनियम, 1969

(1970 का 2)

(13-1-1970)

(1-8-87 को यथा विद्यमान)

पुलिस बल के सदस्यों द्वारा कर्तव्य की कतिपय अवहेलनाओं के लिए वर्धित दण्ड का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश पुलिस (रेल सरक्षण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

कतिपय परिस्थितियों में पुलिस द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिये वर्धित दण्ड ।

2. पुलिस बल के किसी भी सदस्य के लिए, जिसका रेल पर प्रवहित किए जा रहे किसी यात्री या माल (भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में यथा परिभाषित) का तत्समय हिंसात्मक कार्यों से संरक्षण करना कर्तव्य है, उस कर्तव्य के उचित पालन में असफल रहना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध होगा, और उस पुलिस बल में जिसका वह सदस्य है, अनुशासन को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या आदेश में प्रतिकूल किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किन्तु किसी अन्य दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए वह तद्धीन दायी हो, पुलिस बल का ऐसा सदस्य ऐसे अपराध के लिए, सक्षम दण्ड न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या यदि इस अपराध के अवसर पर किसी मानव जीवन को हानि होती है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

3. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि ईस्ट पंजाब पुलिस (प्रोटैक्शन आफ रेलवेज़ ऐक्ट, 1947 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई या प्रारम्भ या जारी की गई कोई कार्यवाहियां, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन की गई या प्रारम्भ या जारी की गई समझी जायेंगी।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री. हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।